अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कवंरपाल कौर बनाम दिलजोत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 188 आरटीए,

मुकदमा नम्बर 283/2023

निर्णय दिनांक :- 04.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी, श्री रामदास सौलंकी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रमेश चन्द गुप्ता उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाल, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 15 की 3.210 एंव मुरब्बा नम्बर 37 की 6.200 हैक्टेयर, कुल 9.410 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।
आज दिनांक 04.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**02**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांकः 04.11.2024

क्रमांकः रीडर/2024/580

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★
सत्यमेव जयते